भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / राज0 / 06 / 19 / 2017 / एफ.सी. / 487 दिनॉक : 10.10.2017

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया,
जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/21182/2016

विषय : **Diversion of 57.778 ha. of forest land in favour of Public Works Department, Jaipur for development of Nagaur- Rarnau Road, Section of SH-19 from Km. 0.00 to Km. 39.688 in the State of Rajasthan**

सन्दर्भः प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), जयपुर, राजस्थान का पत्रांक– F14(Road)/2016/FCA/PCCF/3445, Dt. 27-09-2017

महोदया,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रदिनांक– 15.09.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ।

1. The original copies of toposheets provided by Survey of India for proposed land to be diverted as well as compensatory afforestation land have not been submitted with project proposal.
2. The Geo referenced map and SOI toposheet of Kantoli Compensatory afforestation have not been uploaded online in Part-II.
3. The net suitable area of compensatory afforestation land as per Decision Support System (GIS DSS) is 113.0 ha. which is less than required area of compensatory land.
4. Revised FRA 2006 certificate has not been provided.

उपरोक्त सूचना की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित–

1. शासन सचिव (वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, नागौर, राजस्थान।
3. परियोजना निदेशक– ।।, पी0पी0पी0 डिवीजन, लोक निर्माण विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

10/10/17

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक(के.)